

भारतसरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खानब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रक कार्यालय  
माखपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



**Violation Letter (By speed post)**  
Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

**Mine Code: 34RAJ26001**

संख्या : RAJ/UDP/PB-Zn-03/Vol-III

दिनांक: 18/12/2019

✓ To: Sri Kishore S., Mine Agent,  
Balaria Pb-Zn Mine,  
M/s Hindustan Zinc Limited,  
Village: Zawar, District: Udaipur  
Rajasthan-313901  
(e-mail: kishore.S@vedanta.co.in)

**Sub:** Violation of provision of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Balaria Pb-Zn Mine in Udaipur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found to violated in your above said mine during inspection on 06/11/2019 by the undersigned accompanied by Shri Sh. Mithilesh Kumar, Mine Manger and Sri Sandeep kumar Rajput, Geologist of your Mine

Rule	Details of violations
45(7)	On examination of annual return for the year 2018-19 following discrepancies have been observed. (i) Part V, Section 4.1: During inspection it is reported that 10 BH have been drilled from the surface during the year 2018-19. However, these 10 BH has not been reported in the annual return of the year 2018-19. (ii) Part-VII: Cost of exploration, amount paid towards DMF and NMET has not been considered for estimation of cost of production.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समझि की सिफारिश ।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय  
18/12/19  
(दिलीप जैन)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, Udaipur (Raj).
- 4 रक्षित पत्रावली।

( दिलीप जैन )

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो